राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2016 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – 36/2012 रेवा   निर्णय दिनांक – 26.05.2016

अनवान

सोहनलाल पिता उदयराम मेवाड़ा, आयु 60 साल, निवासी भीम, तहसील भीम।

–वादी

बनाम

सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निमग लिमिटेड, शाखा कार्यालय भीम, तहसील भीम।

–प्रतिवादी

वादपत्र वास्ते स्थाई आदेशात्मक आज्ञप्ति अन्तर्गत धारा
188 आरटी एक्ट

वादी के स्वामित्व व आधिपत्य में मौजा धोटी, पटवार हल्का कालादेह, तहसील भीम में आराजी नम्बर 611, 650 व 649 आई हुई है जिस पर मुझ वादी का निरन्तर शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी में मेरे द्वारा एक ट्यूब वेल खोदा हुआ है व उससे मैं प्रार्थी अपने खेतो की पिलाई करता हूं व उसमें से पानी निकालने के लिये चैन कुपी का भी उपयोग होता है व उसी के द्वारा मोटर लगाकर उक्त ट्यूबवैल का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूं।
प्रतिवादी ने अभी कुछ दिन पूर्व मेरी उक्त आराजी में लगे ट्यूब वैल के पास ही एक इलक्ट्रीक पोल लगा दिया है व अब ट्यूब वैल के उपर से विद्युत लाईन भी लगा दी है जो उक्त पोल से लगती हुई है तथा ट्यूब वैल के उपर से ही वो विद्युत लाईन बांधी गई है।
अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प भीम** मे पेश हुआ। जनहित को मद्येनजर रखते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। होकर निर्णय सुनाया गया।

(   )
पीठासीन अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द